न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
702/2017	दावा 53 RTA	18.10.2017	28.02.2019

1. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
2. महावीरप्रसाद पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
3. बुधाराम पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
4. प्रभूराम पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)

--वादीगण--

बनाम

1. पूर्णाराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
2. जयचन्द पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
3. रामलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
4. सन्तलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
5. मांगीलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
6. सांवताराम पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर (चूरू)।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित -
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण
2. अधिवक्ता श्री श्रवण पंवार प्रतिवादी सं. 1 से 6
3. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ प्रतिवादी सं. 7

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 2 तादादी 2.[illegible] हैक्टेयर, ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

03 तादादी 2.2131 हैक्टेयर, ख.नं. 04 तादादी 2.0866 हैक्टेयर, ख.नं. 51 तादादी 4.8056 हैक्टेयर ख.नं. 52 तादादी 3.8571 हैक्टेयर, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 18.4257 हैक्टेयर रोही धीरासर चारनान में वादीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात् 6.1419 हैक्टेयर (24 बीघा 5 विश्वा) रोही धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं, जिसमें उनके हिस्से की 1/3 हिस्सा अर्थात् 6.1419 हैक्टेयर (24 बीघा 5 विश्वा) कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। यह कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के अविभक्त रूप से संयुक्त कब्जे व काश्त में चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है:– पेमाराम (फौत) के तीन पुत्र माना (फौत), महादा (फौत) व मोहन (फौत) हुए। माना के वारिसान में ओमप्रकाश, महावीरप्रसाद, बुधाराम व प्रभूराम पुत्र हुए जो दावा में वादीगण हैं। महादा के वारिसान में रामलाल, सन्तलाल, मांगीलाल, सांवताराम व जयचन्द पुत्रगण हैं जो प्रतिवादी सं. 2 से 6 हैं तथा मोहन के वारिसान में उनका पुत्र पूर्णाराम जो प्रतिवादी सं. 1 है, मौजूद हैं।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमि है और उक्त कृषि भूमि अपने अलग–अलग हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं और वादगत कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर वं काश्त के मध्य लूंग पाला आदि को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपने 1/3 हिस्से खातेदारी अर्थात् 6.1419 हैक्टेयर भूमि जो वादीगण अपने काश्त के अनुसार खसरा नं. 4 तादादी 2.0866 हैक्टेयर (8 बीघा 5 विश्वा) सम्पूर्ण भूमि, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर (13 बीघा 10 विश्वा) सम्पूर्ण भूमि व कुछ आंशिक भाग खसरा नं. 51 में से 0.6407 हैक्टेयर (2 बीघा 10 विश्वा) उत्तर पश्चिम दिशा की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवाये जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा पेश किया जा रहा है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादीगण के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग कायम करवा लें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 08.10.2017 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 08.10.2017 से वादकारण तथा वाद हेतुक वादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है। [illegible] दावा कृषि भूमि विभाजन का है तथा LAND HOLDER होने [illegible] राजस्थान सरकार को पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है मगर दावा में [illegible] सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि निवास स्थान फेरीकेन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे--

(क) जरिये डिक्री कृषि भूमि क्षेत्र विभाजन कृषि भूमि ख.नं. 2 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, ख.नं. 03 तादादी 2.2131 हैक्टेयर, ख.नं. 04 तादादी 2.0866 हैक्टेयर, ख.नं. 51 तादादी 4.8056 हैक्टेयर ख.नं. 52 तादादी 3.8571 हैक्टेयर, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 18.4257 हैक्टेयर रोही धीरासर चारनान में वादीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात् 6.1419 हैक्टेयर (24 बीघा 5 विश्वा) रोही धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू का खाता व लगान अलग कायम किया जावे और वादीगण के भाग पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त न करें व अन्य फैल या तर्क फैल ना करे जिससे वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार पर विरीत असर पड़े।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वादी को दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से श्री श्रवणकुमार पंवार एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 7 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली जवाबदावा में लम्बित रही। जवाबदावा हेतु प्रतिवादीगण को काफी अवसर व समय प्रदान किया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया। आखिर दिनांक 16.08.18 को वकील प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने 'नो इन्स्ट्रक्शन' अंकित किया जिस प्रतिवादीगण को न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहे इसलिए उक्त प्रतिवादी सं. 1 से 6 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 7 बैंक की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बैंक की ओर प्रस्तुत जवाब में दावा की मद सं. 1 से 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार की गई तथा मद सं. 6 व 7 कानूनी बताते हुए जवाब के काबिल नहीं होना अंकित किया। जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 व 3 आदि ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि बैंक के रहन कर रखी है तथा के.सी. सी. ऋण ले रखा है। उक्त कृषि भूमि [illegible] रान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि [illegible] सम्पत्ति का खाता अलग अलग विभाजित किया ज[illegible]गान कायम नहीं किया जा सकता है इस कारण दावा मय खर्चा खारिज योग्य है [illegible]कि पंजाब नेशनल बैंक के रहन होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त भूमि को रहनमुक्त करवाये बिना एवं बैंक की समस्त बकाया राशि चुकता किये बिना कानूनन दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है जो खारिज किया जावे। वादीगण संयुक्त खातेदारान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि वसूली प्रभावित करने की मंशा से साजिशपूर्वक यह दावा पेश किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

यह कि बसूरत दीगर अदालतवाला दावा हाजा में कृषि भूमि विभाजन की डिक्री पारित करना उचित समझे तो प्रतिवादी सं. 7 पंजाब नेशनल बैंक बीनासर का समस्त हित सुरक्षित रखत हुए सम्बन्धित रहनकर्ता के बाबत प्रतिवादी सं. 7 बैंक का बतौर रहनग्रहिता रिकार्ड में नाम अंकित रखने का समुचित आदेश व डिक्री पारित की जावे ताकि बैंक की पब्लिक मनी सुरक्षित रह सके व जो भी बैंक के ऋण सम्बन्धित अधिकार हैं, वो आदेश व डिक्री में सुरक्षित रखते हुए पारित किया जावे। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी बैंक की हद तक दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा में मुख्य प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन करने पर एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं प्रतिवादी सं. 7 बैंक द्वारा फोरमल जवाब पेश होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई जिस पर वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा में वर्णित कृषि भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है। वादीगण अपने खातेदारी के 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवाना चाहते हैं जिसके लिए हमने यह दावा खाता विभाजन का पेश किया है। हमने दावा में वादगत कृषि भूमि के समस्त रिकार्डेड खातेदारों व हितबद्ध पक्षकार बैंक को पार्टी बनाया है जिनमें प्रतिवादी सं. 1 से 6 उपस्थित हुए हैं परन्तु काफी अवसर व समय दिये जाने के बावजूद भी विरोध में ना तो कोई जवाब पेश किया है तथा ना ही कोई आपत्ति की है। प्रतिवादी सं. 7 बैंक के खिलाफ हमें कोई अनुतोष नहीं चाहिए। खाता विभाजन के पश्चात् भी रहनकर्ता खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन ही रहना है जिससे प्रतिवादी सं. 7 बैंक के हितों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। वादीगण वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए अपने खातेदारी हिस्से की भूमि का अलग खाता व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने अपने साक्ष्य से दावा के आधारों को प्रमाणित कराया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 7 ने जाहिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किया कि वादगत कृषि भूमि में बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए यदि निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम धीरासर चारनान के ख.नं. 2, 3, 4, 51, 52, 53 कुल तादादी 18.4257 हैक्टेयर में वादी सं. 1 से 4 क्रमशः 1/12, 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के पिता मोहनराम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 से 6 क्रमशः 1/15, 1/15 हिस्सा के खातेदार के रूप में दर्ज है एवं वादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक बीनासर के रहन दर्ज है। प्रदर्श–2 वादगत कृषि भूमि की नकल अक्स है। प्रदर्श–3 नजरी नक्शा है जिसमें वादीगण ने उक्त वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपना कब्जा काश्त दर्शित किया है। साक्ष्य शपथ पत्र में गवाह महावीरप्रसाद ने अंकित किया है कि हम वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि में अपने अलग अलग हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं। हम वादीगण अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी अर्थात् 6.1419 हैक्टेयर ख.नं. 4 तादादी 2.0866 हैक्टेयर, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं ख.नं. 51 के कुछ आंशिक उतरी पश्चिमी भाग 0.6407 हैक्टेयर पर काश्त कर रहे हैं जिसका खाता व लगान अलग कायम किया जावे।

दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है जिसका खाता विभाजन करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवाने के लिए यह दावा पेश किया गया है। वादीगण द्वारा दावा के साथ वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपनी कब्जा काश्त दर्शित करते हुए नजरी नक्शा एनेक्जर प्रस्तुत किया है परन्तु नियमानुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रत्येक खसरे के प्रत्येक हिस्से पर समस्त खातेदारों का बराबर बराबर हक हिस्सा होना माना जाता है। इसलिए संयुक्त खातेदारी की भूमि का खाता विभाजन अच्छे से अच्छी एवं बुरी से बुरी किस्म के आधार पर किया जाना होता है। हालांकि प्रस्तुत दावा में प्रतिवादी पक्षकारों ने उपस्थित होने के बावजूद विरोध में कोई जवाब पेश नहीं किया है फिर भी उनके खातेदारी अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए सीधे वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा के अनुसार दावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी की होने से वे अपने खातेदारी के 1/3 हिस्से की भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 7 बैंक के खिलाफ कोई अनुतोष [illegible] खाता विभाजन के बाद भी रहनकर्ता खातेदारों का हिस्सा रहन ही दर्ज [illegible] बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना [illegible] भी सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार दावा वादीगण स्वीकार [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2 तादादी 2.0487 हैक्टेयर,, ख.नं. 03 तादादी 2.2131 हैक्टेयर, ख.नं. 04 तादादी 2.0866 हैक्टेयर, ख.नं. 51 तादादी 4.8056 हैक्टेयर ख.नं. 52 तादादी 3.8571 हैक्टेयर, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 18.4257 हैक्टेयर रोही धीरासर चारनान में से वादीगण के 1/3 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का खाता व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर०ए०एस०

1. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
2. महावीरप्रसाद पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
3. बुधाराम पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
4. प्रभूराम पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)

—वादीगण—

बनाम

1. पूर्णाराम पुत्र मोहनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
2. जयचन्द पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
3. रामलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
4. सन्तलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
5. मांगीलाल पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
6. सांवताराम पुत्र महादा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धीरासर चारनान तहसील व जिला चूरू (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर (चूरू)।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 702 सन् 2017

यह मुकदमा आज ... रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुद... व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट प्रतिवादी सं. 7 मिनजानिब ... जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2 तादादी 2.0487 हैक्टेयर, ख.नं. 03 तादादी 2.2131 हैक्टेयर, ख.नं. 04 तादादी 2.0866 हैक्टेयर, ख.नं. 51 तादादी 4.8056 हैक्टेयर ख.नं. 52 तादादी 3.8571 हैक्टेयर, ख.नं. 53 तादादी 3.4146 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल तादादी 18.4257 हैक्टेयर रोही धीरासर चारनान में से वादीगण के 1/3 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का खाता व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह फरवरी सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:54:12 IST
Reason: SelfAttested